निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 150) पटना, बुधवार, 21 फरवरी 2024

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी 2024

बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024

सं० 7 /विविध–30/2021–385—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।–
   (1) यह नियमावली''**बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024**'' कही जायेगी।
   (2) इसका विस्तार सपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –
   (i) ''**सरकार**'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (ii) ''**प्रशासी विभाग**'' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग ;
   (iii) ''**नियुक्ति प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
   (iv) ''**आयोग**'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;
   (v) ''**प्रारंभिक विद्यालय**'' से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है ;
   (vi) ''**विभाग**'' से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ;
   (vii) ''**अनुशासनिक प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
   (viii) ''**अपीलीय प्राधिकार**''से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल का क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;
   (ix) ''**शिक्षक**''से अभिप्रेत है, ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली, 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्ति हैं लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे;

(x) **''प्रधान शिक्षक''**से अभिप्रेत है, वैसे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त हैं ;

(xi) **''स्थानीय निकाय''**से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गठित जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अन्तर्गत गठित नगर निगम, निगर परिषद् एवं नगर पंचायत;

(xii) **''स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020''**से अभिप्रेत है, ''बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2020'' एवं ''बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2020'' तथा ''बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 एवं ''बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 ;

3. **संवर्ग का गठन** ।–

(1) सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के लिए एक पृथक संवर्ग होगा।

(2) प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(ix)में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परन्तु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे।

(3) नियम 2(ix)के अन्तर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षो का शिक्षण अनुभव हो और वह भर्ती वर्ष की 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो।

(4) प्रधान शिक्षकों के आश्रितों का किसी प्रकार की अनुकम्पात्मक नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार होगी और आश्रितों की पात्रता एवं रिक्ति के अधीन होगी।

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया** ।–

(1) शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक,प्रारंभिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस (समाशोधन) के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जाएगी।

(2) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(3) परीक्षा हेतु पाठयक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठयक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।

(4) परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।

(5) विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अर्हतांक (कट–ऑफ मार्क्स) आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

(6) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(7) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

(8) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तबतक नहीं प्रदान करेगी, जबतक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

5. **आरक्षण** ।–

(1) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

(2) प्रधान शिक्षक का आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस (समाशोधन) से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने केबाद प्रथम समव्यवहार में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. **वरीयता** ।–

(1) प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार किये गये मेधा सूची के अनुरूप होगी।प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी।

(2) यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा।

7. **स्थानान्तरण** ।–

(1) प्रधान शिक्षक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

(2) प्रधान शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रतिबद्धताओं अथवा जनहित में जिला के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(3) प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गयी अवधि पूर्ण करने पर जिला के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(4) प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। परन्तु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल दो बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासी विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानान्तरण के मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक को संगत नियुक्ति वर्ष की ग्रेडेशन सूची के निम्नतम पायदान पर रखा जाएगा।

(5) उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, प्रशासनिक आधारों पर या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए या जनहित में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किसी प्रधान शिक्षक का जिले के बाहर स्थानान्तरण किया जा सकेगा। ऐसे मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता नियम–6 के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी।

8. **अनुशासनिक कार्रवाई** ।–प्रधान शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी की जाएगी।

9. **वेतन एवं अन्य भत्ते**।– प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

10. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।–

10.1 इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 में निहित प्रावधान प्रधान शिक्षक के पद के लिए प्रभावी नहीं होगा।

10.2 बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2021 इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

10.3 ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या अधीन किया गया था या की गयी समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

11. **कठिनाई दूर करने की शक्ति** ।–विभाग को इस नियमावली के किसी प्रावधान को स्पष्ट करने एवं अधिसूचनाओं और दिशा–निर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 20th February 2024

THE BIHAR ELEMENTARY SCHOOLS HEAD TEACHERS RULES, 2024

No. 7 /Vividh-30/ 2021-386.—*In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for theappointment and service conditions of the Head Teachers of the Government run Elementary Schools: -*

1. *Short title, extent and commencement: -*

(1) These rules shall be called "**THE BIHAR ELEMENTARY SCHOOLS HEAD TEACHERSRULES, 2024".**

(2) It shall extend throughout the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of issuance of notification.

2. *Definitions:-**In these Rules, unless the context otherwise requires, -*

i. "***Government***" means the Bihar Government;

ii. "***Administrative Department***" means the Education Department;

iii. "***Appointing Authority***" means District Education Officer of the concerned district;

iv. **"*Commission*"** means Bihar Public Service Commission;

v. **"*Elementary School*"** means that School in which teaching from Class 1 to 8 or Class 6 to 8 or Class 1 to 5 is done;

vi. **"*Department*"** means the Department of Education of Government of Bihar;

vii. "***Disciplinary Authority***" means District Education Officer of the concerned district;

viii. "***Appellate Authority***" means Regional Deputy Director of Education of the concerned Division;

ix. "***Teachers***" means all such trained elementary teachers, who have been employed by the local bodies and who are covered under the relevant Local Bodies Teachers Rules 2020. This also includes teachers appointed under Bihar State School Teachers (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023 and Bihar School Exclusive Teachers Rules, 2023; but shall not include teachers covered under Bihar Nationalized Preliminary School Teachers Transfer, Disciplinary Action and Promotion Rules, 2018;

x. "***Head Teachers***" means all such head teachers, appointed under these Rules;

xi. "***Local Bodies***" means Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat constituted under Bihar Panchayat Raj Act, 2006 and includes Nagar Nigam, Nagar Parishad and Nagar Panchayat constituted under Bihar Municipal Act, 2007;

xii. "***Local Bodies Teachers Rules, 2020***" means "Bihar Panchayat Elementary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceeding and Service Condition) Rules, 2020", "Bihar Municipal Elementary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceeding and Service Condition) Rules, 2020", "Bihar District Board Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceeding and

Scanned with OKEN Scanner

Service Condition) Rules, 2020" and "Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceeding and Service Condition) Rules, 2020";

3. ***Constitution of Cadre:-***

(1) There shall be a separate cadre for Head Teachers of Government Elementary Schools.

(2) The Head Teachers shall be recruited from amongst the Teachers as defined under Rule 2 (ix) and by way of an examination to be conducted by the Commission. However, the Teachers covered under Bihar Nationalized Preliminary School Teachers Transfer, Disciplinary Action and Promotion Rules, 2018 shall not be required to appear in the examination and they shall continue to become the Head Teachers by way of promotion, subject to their eligibility and availability of vacancy.

(3) Any teacher as defined under Rule 2 (ix) may compete in the examination conducted by the Commission provided he/she has minimum 08 years of teaching experience in Government Elementary Schools and is 58 years or less as on 1st August of the recruitment year.

(4) Any compassionate appointment to the wards of the Head Teachers shall be as per the prevailing policy of the Department and subject to the eligibility of the ward and the vacancies.

4. ***Procedure for Appointment***:-

(1) After calculation of the vacant seats along with roaster clearance at the district level, the reservation category wise requisition shall be sent to the Commission for direct appointment to the post of HeadTeacher, by the Education Department.

(2) The Commission shall advertise the number of vacant posts in relation to the requisition received for direct appointment. The candidature of the candidate shall be evaluated on the basis of the self declaration by the candidate in relation to the application form advertised by the Commission.

(3) Syllabus for examination shall be determined by the Commission in consultation with the Administrative Department. As per the determined syllabus, the Commission shall conduct examination, set question paper, evaluate the answer sheets and publish the results.

(4) The Commission shall determine the pattern of the examination for which it may consult and take advice with the Department as per requirement.

(5) The Department, in consultation with the Commission shall fix the cut-off marks for the examination.

(6) Any candidate can appear, maximum three times, at an examination conducted under these rules.

(7) Appointment shall be done in accordance with the recommendation on the basis of the examination conducted by the Commission.

(8) The recommendation of the Commission shall not provide the right to be appointed unless the Administrative Department after the verification of necessary certificates is satisfied that the candidate is appropriate for appointment to the post of HeadTeacher from all aspects.

Scanned with OKEN Scanner

5. *Reservation:-*

(1) The provisions for reservation in direct appointment under the State Government, as implemented by the General Administration Department shall be applicable.

(2) The roaster clearance for Head Teacher shall be carried out by the District Magistrate.

(3) The roaster shall start from reservation point 01 for appointment to the post of HeadTeacher in the first transaction after the commencement of these Rules.

6. *Seniority:-*

(1) The *inter se* seniority shall be in accordance with the merit list drawn by the Commission. There shall be consolidated seniority list of Head Teachers of Elementary Schools.

(2) The seniority list of Head Teachers shall be maintained at District level.

7. *Transfer:-*

(1) The HeadTeachers shall be transferable.

(2) The HeadTeachers shall normally be transferred within the District by the District Education Officer keeping in view the commitments under the Right to Education Act or in public interest.

(3) The HeadTeachers shall be transferred within the District upon completion of such duration as the Department may decide.

(4) The HeadTeachers may be transferred within or outside the District on his/her request by the Director (Primary). However, a Head Teacher may exercise such option only twice in the career. This facility, cannot be claimed as a matter of right and the Administrative Department may refuse such request depending upon the exigencies. In case of such transfers, the concerned Head Teacher shall be placed at the bottom of gradation list of the relevant appointment year.

(5) Notwithstanding anything above, a HeadTeacher may be transferred outside the District on Administrative grounds or keeping in view the commitments under the Right to Education Actor in public interest by Director (Primary). In such case, the concerned head teacher's seniority shall be redrawn in terms of rule 6.

8. *Disciplinary Action.*—The detailed guideline and procedure for disciplinary action against Head Teachers shall be notified separately in consultation with the General Administration Department.

9. *Pay & Allowance.*—The pay and other allowances shall be determined in consultation with the Finance Department, Government of Bihar.

10. *Repeal and Savings*:-

(1) The provisions of Nationalized Elementary Teachers Transfer, Disciplinary Action and Promotion Rules, 2018 shall not be applicable for the post of Head Teacher from the date of commencement of these Rules.

(2) Bihar Nationalized Primary School Head Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Condition) Rules, 2021 shall stand repealed from the date of commencement of this Rule.

(3) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such rules and orders, shall be deemed to have been done or taken under

Scanned with OKEN Scanner

these rules, as if these rules were in force on the date on which such thing was done or action taken.

11. ***Power to remove difficulty.***—The Department shall have powers to clarify any provisions of these Rules and remove any difficulties arising in its implementation by way of notifications and guidelines.

By the order of the Governor of Bihar,
K. K. PATHAK,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 150-571+3000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

Scanned with OKEN Scanner